



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022024-252162  
CG-DL-E-16022024-252162

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 15, 2024/माघ 26, 1945

No. 41]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 15, 2024/MAGHA 26, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

संशोधन संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2024

विषय: सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए जाने वाले फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पोलियल के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच के दिनांक 17 मार्च, 2020 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 7/12/2019-डीजीटीआर में उत्पादक/निर्यातक मैसर्स शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लि. ("एसईपीएल") के नाम में परिवर्तन।

फा. सं. 7/24/2023-डीजीटीआर.— समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" कहा गया) को ध्यान में रखते हुए;

क. **पृष्ठभूमि**

1. व्यापार उपचार महानिदेशालय (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) ने आस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए जाने वाले फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पोलिएल (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" अथवा पीयूसी भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की थी और दिनांक 11 जनवरी, 2015 के अपने अंतिम जांच परिणाम सं.14/01/2013-डीजीएडी के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी और यह शुल्क दिनांक 7 अप्रैल, 2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 09/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) के निर्गमन द्वारा लगाया गया था। तत्पश्चात्, विधिवत् प्रमाणित आवेदन के आधार पर, प्राधिकारी ने दिनांक 9 अगस्त, 2019 की जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस सं. 7/12/2019-डीजीटीआर के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर उस समय लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा (जिसे आगे "एसएससआर" कहा गया है) की शुरुआत की और दिनांक 17 मार्च, 2020 की इसकी अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 7/12/2019-डीजीटीआर (जिसे आगे "अंतिम जांच परिणाम" कहा गया है) के माध्यम से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की। इस सिफारिश को वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया था और दिनांक 9 जून, 2020 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 14/2020 (एडीडी) (जिसे आगे "सीमा शुल्क अधिसूचना" कहा गया है) के माध्यम से निश्चयात्मक शुल्क लगाया गया था।
2. उक्त एसएससआर जांच में, सिंगापुर से संबद्ध वस्तुओं के सहयोगी उत्पादकों में से एक उत्पादक नामतः शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लिमिटेड ("एसईपीएल") ने भाग लिया और निर्यातक की प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत किया। प्राधिकारी ने एसईपीएल द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तु के आयातों पर 45.73 यूएसडॉ. प्रति एमटी के विशिष्ट स्तर की सिफारिश की।
3. एसएससआर के दौरान, यह रिकॉर्ड किया गया है कि शेल ग्रुप की उन चार कंपनियों नामतः मैसर्स शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लिमिटेड (एसईपीएल), शेल ईस्टर्न ट्रेडिंग पीटीई लिमिटेड (एसईटीएल), शेल केमिकल्स सेराया पीटीई लिमिटेड (एससीएसएल) और शेल ईस्टर्न केमिकल्स (एस) (एसईसी(एस)) ने अलग अलग उत्तर प्रस्तुत किया था। आगे यह रिकॉर्ड किया गया है कि एससीएसएल एसईपीएल की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है। एससीएसएल इनपुट अर्थात् एसईपीएल के पीओ एक आपूर्तिकर्ता भी है जिसका उपयोग संबद्ध वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लिमिटेड (एसईपीएल) पीयूसी का उत्पादक है और इसने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, शेल केमिकल सिराया केमिकल लिमिटेड ("एससीएसएल") में से इस संयंत्र के प्रचालनों को निकाल दिया है। एसईपीएल एक करार के अन्तर्गत बिना लाभ आधार पर इस संयंत्र के प्रचालन के लिए एससीएसएल द्वारा खर्च की गई लागतों की प्रतिपूर्ति करता है। एसईपीएल संबद्ध वस्तुओं की पूरी मात्रा एसईटीएल को बेचता है और उसके बदले में एसईटीएल इन वस्तुओं का निर्यात भारत को करता है। हालांकि, समीक्षा जांच के अंतिम जांच परिणाम के निर्गमन के बाद, मैसर्स शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लिमिटेड ("एसईपीएल") ने अपना नाम बदलकर शेल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड ("एसएसपीएल") कर लिया है।
4. तदनुसार, शेल सिंगापुर पीटीई. लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए जाने वाले फ्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पोलियोल के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच के दिनांक 17 मार्च, 2020 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 7/12/2019-डीजीटीआर में शुल्क तालिका में नाम के परिवर्तन के लिए प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया।

ख. **प्रक्रिया**

5. दिनांक 17 सितंबर, 2018 के ट्रेड नोटिस 12/2018 के संबंध में, आवेदक ने 22 सितंबर, 2023 को मौजूदा आवेदन दायर किया जिसके द्वारा प्राधिकारी को यह सूचित किया गया कि इसने 3 अप्रैल, 2023 से "शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लिमिटेड" से अपना नाम बदलकर "शेल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड" कर लिया था और इसने

अंतिम जांच परिणाम में और उसके परिणामस्वरूप सीमा शुल्क अधिसूचना द्वारा यथा-अधिसूचित शुल्क तालिका में नाम के परिवर्तन का अनुरोध किया।

शुल्क तालिका में मौजूदा नाम	शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लि. ("एसईपीएल")
शुल्क तालिका में प्रस्तावित नया नाम	शेल सिंगापुर पीटीई लि. ("एसएसपीएल")

6. अनुरोध की प्रकृति पर विचार करते हुए तथा दिनांक 17 सितंबर, 2018 के ट्रेड नोटिस सं. 12/2018 के संदर्भ में, प्राधिकारी ने उक्त आवेदन की जांच की और इसे घरेलू उद्योग अर्थात् मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के आवेदन का अगोपनीय रूपांतर परिचालित किया और किए गए अनुरोध पर उनके दृष्टिकोण प्राप्त करने की कोशिश की ताकि इस अनुरोध पर उपयुक्त रूप से विचार किया जा सके तथा यदि आवश्यक हो तो एक मध्य अवधि समीक्षा ("एमटीआर") करने की आवश्यकता का उचित रूप से मूल्यांकन किया जा सके।
7. मौखिक सुनवाई प्राधिकारी द्वारा 30 नवंबर, 2023 को की गई थी जिसमें मौखिक सुनवाई में भाग लेने के लिए अवसर के साथ संगत हितबद्ध पक्षकारों को दिया गया था, यदि वे इस जांच से संबंधित मौजूदा सूचना देना चाहते हों। भागीदारों द्वारा किए गए बाद के अनुरोधों को नीचे रिकॉर्ड किया गया है इन पर प्राधिकारी द्वारा विधिवत विचार किया गया है।

### ग. अनुरोध

#### ग.1 घरेलू उद्योग अर्थात्, मैसर्स मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

8. माननीय प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम के किसी पहलू पर फिर से विचार करने का कोई अधिकार निहित नहीं है यदि वह नियम से नहीं लिया गया हो अथवा न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय (उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयद्वारा वापस नहीं भेजा गया हो। इसके साथ ही, चूंकि शुल्क तालिका में परिवर्तन की सिफारिश एक मौलिक परिवर्तन है जो कोई लिपिकीय अथवा टंकण की प्रकृति का नहीं है, नाम में परिवर्तन की वर्तमान कार्यवाहियां नियम 23(1क) के संदर्भ में जांच की शुरुआत किए बिना आगे नहीं बढ़ सकती है। जांच की शुरुआत के बिना, निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास नियम 17 के अंतर्गत यथा-परिकल्पित शुल्क तालिका में संशोधन करने के लिए कोई जांच करने अथवा किसी सिफारिश करने की कार्यवाही करने के लिए कोई कानूनी शक्ति/अधिकार क्षेत्र नहीं है। ट्रेड नोटिस के निर्गमन के द्वारा कानूनी प्रक्रिया के लिए लागू पथ नहीं अपनाया जा सकता है।
9. ट्रेड नोटिस इस नियम को स्पष्ट नहीं करता है जिसके अन्तर्गत नाम बदलने का प्रस्ताव कार्यवाही शुरू किए बिना किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, नाम के परिवर्तन के बारे में आम सूचना अर्थात् जांच आरंभ करने संबंधी अधिसूचना जारी नहीं कर, सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना नहीं दी गई है। इस कारण से, यह प्रक्रिया सहज रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है।
10. एसएसपीएल 90 दिनों की अनिवार्य अवधि के भीतर डीजीटीआर के पास नहीं पहुंचा है और इसलिए डीजीटीआर ट्रेड नोटिस 12/2018 के अन्तर्गत इस मुद्दे की जांच नहीं कर सकता है। इसके अलावा, चूंकि वे अनिवाय अनुदेशों का पालन करने में असफल रहे हैं, अतः उन्हें बाद की जांचों के दौरान 'असहयोगी उत्पादक/निर्यातक' के रूप में माना जाएगा। आवेदक ने 'नाम परिवर्तन संबंधी अनुरोध सूचना' दायर करने के पूर्व विलंब को माफ करने का भी कोई अनुरोध नहीं किया है, अतः कार्यांतर माफी के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
11. आवेदक ने ट्रेड नोटिस 12/2018 के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से वास्तविक तथ्यों को छुपाया है। यह आवेदन इस तथ्य का उल्लेख नहीं करता है कि एसएसपीएल यूईएन सं. 196100094 एच के साथ 1961 में स्थापित किया गया था जो बाद में अलग अलग हो गया। धारणा यह बनाई गई है कि नए नाम को अप्रैल, 2023 में ही अपनाया गया है। इस संबंध में, इस तथ्य के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है कि किस प्रकार एसएसपीएल दो अलग अलग यूईएन के साथ अस्तित्व में रह सकता है। यह मानते हुए कि यूईएन सं. 196100094 एच के साथ एसएसपीएल अब अस्तित्व में नहीं था इसलिए आवेदक को ऐसे तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाने की आवश्यकता थी।

इसके अलावा, आवेदक ने कोई आंकड़ा अथवा सूचना इस संबंध में नहीं उपलब्ध कराई है कि क्या कारपोरेट अथवा दो शेयर होल्डरों की शेयर होल्डिंग संरचना में कोई परिवर्तन हुआ है। आवेदक के किसी शेयर होल्डर में इससे संबंधित किसी परिवर्तन का आवेदक की स्वामित्व संरचना पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि नए प्रतिष्ठान के कार्य का क्षेत्र उसी नाम वाले प्रतिष्ठान से अलग है।

12. चूंकि बोर्ड के प्रस्ताव के उद्धरण जिनमें नाम बदलने का प्रस्ताव किया गया है, बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया है और उसे गोपनीय रखा गया, प्राधिकारी इसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इस साक्ष्य का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार, निर्यातक ने दिनांक 13.12.2023 के वित्तीय विवरणी से उद्धरणों के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है। चूंकि वर्तमान कार्यवाहियां नाम में परिवर्तन की हैं अतः लेखा परीक्षित दस्तावेजों में नाम में परिवर्तन करने के लिए लेखा परीक्षकों द्वारा टिप्पणियों अथवा किन्हीं संदर्भों को गोपनीय रखे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
13. इसके अलावा, निर्यातक ने अप्रैल, 2023 के बाद से आज की तारीख तक निर्यात की गई वस्तुओं का विवरण उपलब्ध नहीं कराया है। इसने न केवल घरेलू उद्योग को बल्कि माननीय प्राधिकारी को भी पूरी सूचना उपलब्ध नहीं कराई है और इस प्रकार सूचना को छिपाने के कारण अधिकार को गंभीर हानि पहुंची है। यह नियम 23 के अन्तर्गत एक अंतरिम समीक्षा के द्वारा ही की जा सकती है।

## ग.2 आवेदक - शेल सिंगापुर पीटीई लि. ("एसएसपीएल")

14. नाम में परिवर्तन इस उद्देश्य से किया गया है ताकि प्रधान अधिकार क्षेत्र के नाम जिसमें कंपनी व्यापारिक रूप से परिचालन करती है, को और अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सके और क्षेत्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने का स्थान बनाया जा सके।
15. आवेदक के नाम में परिवर्तन कंपनी की स्वामित्व संरचना अथवा कानूनी स्थिति में परिवर्तन के बिना सामान्य नाम परिवर्तन है। वर्तमान नाम परिवर्तन पाटन और क्षति के मापदंडों के पुनः आकलन को आवश्यक नहीं बनाता है और इस कारण से, यह अनुरोध दिनांक 17 सितंबर, 2018 की ट्रेड नोट सं. 12/2018 के अनुसार "केवल रिकॉर्ड के लिए" नाम परिवर्तन की श्रेणी में आता है।
16. निम्नलिखित दस्तावेज यह दर्शाने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं कि वर्तमान मामला स्वामित्व संरचना अथवा कानूनी स्थिति में परिवर्तन के बिना सामान्य नाम परिवर्तन है:
  - क) नाम बदलकर शेल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड करने के संबंध में कंपनी द्वारा पारित दिनांक 1 फरवरी, 2023 का बोर्ड का संकल्प था।
  - ख) नाम में परिवर्तन की पुष्टि करते हुए लेखांकन और कारपोरेट नियामक प्राधिकरण ("एसीआरए"), सिंगापुर द्वारा जारी किया गया कंपनी के निगमन की पुष्टि करने वाला प्रमाण-पत्र।
  - ग) 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणी।
  - घ) एसएसआर जांच के दौरान आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर।
  - ड) आवेदक द्वारा सिंगापुर के प्राधिकारियों के पास प्रस्तुत किया गया वार्षिक विवरण।
  - च) एसीआरए द्वारा जारी किया गया सदस्यों की पंजी।
17. नाम में परिवर्तन में कंपनी ने कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं लाया है अर्थात:
  - क) कानूनी स्थिति अथवा स्वामित्व संरचना में कोई परिवर्तन नहीं।
  - ख) कंपनी के प्रचालनों में कोई परिवर्तन नहीं।
  - ग) शेयर होल्डरों और उनकी होल्डिंग्स में कोई परिवर्तन नहीं।
  - घ) लागत संरचना में कोई परिवर्तन नहीं।

- ड) यूटिलिटी के स्रोत में कोई परिवर्तन नहीं।
- च) एसएसपीएल के अन्तर्गत मौजूदा निर्माण स्थलों और व्यापार कार्यालय में कोई परिवर्तन नहीं।
- छ) बिजनेस लाइसेंस सं. में कोई परिवर्तन नहीं।
18. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईनोविन एसवेरिज एबी बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में यह माना है कि उन मामलों में जहां स्वामित्व अथवा कानूनी स्थिति में परिवर्तन के बिना निर्यातक के नाम में सामान्य परिवर्तन होता है, वहां पूर्ण एमटीआर जांच करने के लिए प्राधिकारी के पास कोई औचित्य नहीं है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को सामान्य नाम परिवर्तन को शामिल करने वाले मामलों में एक सरल प्रक्रिया अपनाने का स्पष्ट निर्देश जारी किया है जिसमें पाटनरोधी शुल्कों को लगाए जाने के आधार को प्रभावित नहीं किया है अथवा उसमें परिवर्तन नहीं किया है।
19. नाम परिवर्तन के 90 दिनों के भीतर प्राधिकारी को सूचित करने में विलंब प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए संबंधित ट्रेड नोटिस की जानकारी के अभाव के कारण है और न कि वह इरादतन है। उक्त विलंब को प्राधिकारी द्वारा कृपया माफ किया जाए।
20. प्राधिकारी को अधिसूचित करने में विलंब के बावजूद, आवेदक ने सिंगापुर उच्चायोग के माध्यम से इसके नाम में परिवर्तन के केवल 20 दिनों के बाद सीमा शुल्क प्राधिकारियों को नाम में परिवर्तन अधिसूचित किया है।
21. इसके नाम में परिवर्तन के संबंध में प्राधिकारी को अधिसूचित करने में आवेदक के स्पष्ट विलंब के परिणामस्वरूप किसी पक्षकार को कोई हानि नहीं हुई है। नाम में परिवर्तन के संबंध में प्राधिकारी को अधिसूचित करने में विलंब के कारण केवल एसएसपीएल को हानि पहुंची है क्योंकि शुल्क तालिका में "एसईपीएल" का नाम है और नाम में परिवर्तन के कारण, कंपनी एसएसआर जांच के अंतिम जांच परिणामों के अनुसरण में इसे दी गई शुल्क की विशेष दर से लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।
22. एसएसपीएल को 'असहयोगी' के रूप में मानने का कोई औचित्य नहीं है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अन्तर्गत किसी भी पक्षकार को 'असहयोगी' के रूप में तभी माना जा सकता है यदि यह आवश्यक सूचना देने से इंकार करता है अथवा यह अन्य प्रकार से उपलब्ध नहीं कराता है या इस जांच में बहुत अधिक हद तक बाधा पहुंचाता है।
23. कोई अन्य कंपनी वर्तमान नाम परिवर्तन में शामिल नहीं है। आवेदक का एक विशिष्ट कंपनी सं. (यूईएन) 196000089जी है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज इस यूईएन को दर्शाते हैं।
24. जैसा कि सिंगापुर के लेखांकन और कंपनी विनियामक प्राधिकरण (एसीआरए) द्वारा रखे गए रिकॉर्ड से देखा जा सकता है, यूईएन सं. 196100094एच वाली कंपनी वर्ष 1997 में भंग कर दी गई थी। चूंकि उपर्युक्त कंपनी को वर्तमान नाम परिवर्तन के 26 वर्ष पहले भंग किया गया था, आवेदक वर्तमान कार्यवाहियों में इसकी संगतता को समझने में असफल हैं।
25. "शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लिमिटेड" नाम वाली कंपनी की सील को समाप्त करने का आदेश आवेदक के निदेशक बोर्ड द्वारा पारित विशेष संकल्प में दिया गया और इस कारण से आवेदक के लिए कानूनी रूप से यह अनुमति दिए जाने लायक नहीं है कि इस नाम के अन्तर्गत व्यापार किया जाए।

#### घ. प्राधिकारी द्वारा जांच

26. घरेलू उद्योग और आवेदक द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच यहां आगे की गई है।
27. आवेदक ने 3 अप्रैल, 2023 से अपना नाम "शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लिमिटेड" से बदल कर "शेल सिंगापुर पीटीई लि." कर लिया। जैसाकि आवेदक द्वारा दावा किया गया है, नाम में परिवर्तन उस प्रधान अधिकार क्षेत्र जिसमें कंपनी व्यापारिक रूप से कार्य करती है, को और अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाने तथा क्षेत्रीय स्तर पर आसान तरीके से मान्यता प्राप्त करने में सक्षम होने के उद्देश्य से किया गया है। इसके अलावा, कंपनी का नया नाम शेल की मुख्य ब्रांड से निकटता से संबद्ध है और यह एक अधिक अनुकूल नाम भी है जो यह इंगित करता है कि कंपनी का

व्यापार पेट्रोलियम के व्यापार से कहीं ज्यादा विशेषकर ऊर्जा पारगमन के इस युग में अधिक क्षेत्र तक फैलता है। उपर्युक्त कारण का भी उल्लेख कंपनी (एसएसपीएल) की दिनांक 13 जून, 2023 को प्रस्तुत किये गये वित्तीय वर्ष 2022 की वार्षिक वित्तीय विवरणी में किया गया है।

28. आवेदक ने ट्रेड नोटिस 12/2018 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र के अनुसार यह आवेदन दायर किया और निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए गए थे जिनकी प्राधिकारी द्वारा विधिवत जांच की गई है:
- क. आवेदक के नाम में एसईपीएल से एसएसपीएल में परिवर्तन को मंजूर करते हुए 1 फरवरी, 2023 को आवेदक के निदेशक बोर्ड द्वारा विशेष संकल्प पारित किया गया। बोर्ड ने कंपनी के नाम में परिवर्तन के बाद “शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लिमिटेड” नाम वाले “कॉमन सील” को समाप्त करने की मंजूरी दी तथा “शेल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड” के नाम वाले एक “नई कॉन सील” को मंजूर किया गया था और उसे अपनाया गया था।
- ख. लेखांकन एवं कारपोरेट नियामक प्राधिकरण (“एसीआरए”), सिंगापुर द्वारा इस तथ्य को मानते हुए जारी किए गए कंपनी के निगमन की पुष्टि करने वाला प्रमाण-पत्र कि कंपनी का यूईएन 196000089जी वाली कंपनी (अर्थात् आवेदक) को पूर्व में “शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लिमिटेड” के रूप में जाना जाता था और इसने अपना नाम 3 अप्रैल, 2023 से बदलकर “शेल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड” कर लिया है।
- ग. यह उल्लेख करते हुए एसएसपीएल से दिनांक 20 अप्रैल, 2023 के वचन-पत्र कि सभी कानूनी अधिकार, दायित्व और रियायतें जो पूर्व में एसईपीएल को दी गई थी, लागू हैं और यह एसएसपीएल के पास हैं और इस पर नाम में परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एसएसपीएल मौजूदा निर्माण स्थलों और व्यापार कार्यालयों, जो एसएसपीएल के अंतर्गत हैं, में परिवर्तन किए बिना एसईपीएल द्वारा पूर्व में किए गए सभी व्यापारिक प्रचालनों और निर्माण क्रियाकलाप अपने पास रखता है।
- घ. 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए दिनांक 14 जुलाई, 2023 की वार्षिकी विवरणी (नाम में परिवर्तन के बाद लेकिन नाम में परिवर्तन के पूर्व की अवधि से संबंधित) एसएसपीएल द्वारा एसीआरए द्वारा जारी किए गए कंपनी के निगमन की पुष्टि करने वाले प्रमाण-पत्र में दर्शाए गए अनुसार किसी यूईएन को दर्शाते हुए एसीआरए के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
- ड. एसीआरए द्वारा शेयर होल्डरों और एसएसपीएल में उनकी होल्डिंग की पुष्टि करते हुए, दिनांक 25 अगस्त, 2023 को सदस्यों की पंजी (“आरओएम”)।
- च. नया नाम और पूर्व नाम को दर्शाते हुए नाम के परिवर्तन के बाद प्रकाशित 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणी।
29. निम्नलिखित मुद्दे आवेदक द्वारा और घरेलू उद्योग द्वारा अपने अनुरोधों के अभिन्न संघटक के रूप में उठाए गए हैं:
- i. प्राधिकारी के पास नियम 23 (1क) के अन्तर्गत मध्य अवधि समीक्षा (एमटीआर) जांच शुरू किए बिना शुल्क तालिका में आवेदक के नाम में परिवर्तन करने की शक्ति/आधार क्षेत्र नहीं है।
30. घरेलू उद्योग ने यह आरोप लगाया है कि माननीय प्राधिकारी के पास अंतिम जांच परिणामों के किसी पहलू पर फिर से विचार करने का कोई अधिकार निहित नहीं है यदि वह नियम के अनुरूप नहीं हो अथवा उसे न्यायाधिकरण अथवा किसी न्यायालय (उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय) द्वारा उसे वापस न किया गया हो। इस संबंध में, प्राधिकारी आईनोविन एसवेरिज एबी बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी<sup>1</sup> के फैसले का संदर्भ लेते हैं जिसमें माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीजीटीआर को केवल नाम में परिवर्तन के लिए जटिल मध्य-अवधि समीक्षा जांच करने के लिए चेतावनी दी।

<sup>1</sup> 2016 एससीसी ऑनलाइन डीईएल 3662:(2016) 340 ईएलटी 496:(2016) 157 डीआरजे 614.

16..... "जब अंतिम जांच परिणाम में उल्लिखित कोई कंपनी यह कहने के लिए आगे आती है कि इसके नाम में न कि इसकी कानूनी स्थिति में परिवर्तन होता है, प्रश्न यह है कि क्या निर्दिष्ट प्राधिकारी की कार्यवाही ऐसी परिस्थितियों में मध्य अवधि समीक्षा शुरू करने के लिए ऐसी कंपनी के लिए न्यायोचित होगी"

17..... "इस न्यायालय के समक्ष निर्दिष्ट प्राधिकारी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया एकमात्र औचित्य यह है कि इस तरह के अनुरोध से निपटने के लिए कोई अन्य प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है। न्यायालय निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त दृष्टिकोण को समझने में सक्षम नहीं है"..... "याचिकाकर्ता ने बार-बार जोर देकर यह कहा है कि इसकी कानूनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह उसके नाम में परिवर्तन है। इस कारण से निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए यह मानने का कोई अवसर नहीं था कि अंतिम जांच परिणामों में, जैसा कि परिलक्षित होता है, याचिकाकर्ता के नाम में ऐसा परिवर्तन किसी न किसी प्रकार से अन्य हितबद्ध पक्षकारों को हानि पहुंचाएगा और यह कि मध्य अवधि समीक्षा इस तथ्य की जांच करने के लिए शुरू की जानी होती है कि क्या नाम में इस परिवर्तन के फलस्वरूप परिस्थितियों में भी परिवर्तन हुआ है जो मध्य अवधि समीक्षा को सही ठहराता हो"

18.... "वर्तमान मामले में, निर्दिष्ट प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वह सबसे पहले इस तथ्य की जांच की हो कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर, इसके नाम में परिवर्तन में दिनांक 4 अप्रैल, 2014 के अंतिम जांच परिणाम के संदर्भ में पाटनरोधी जांच लगाए जाने के आधार को परिवर्तित कर दिया है अथवा इसको प्रभावित किया है"

19... "प्रश्न मध्यावधि समीक्षा द्वारा याचिकाकर्ता को हुई हानि के बारे में इतना अधिक नहीं है बल्कि इसके बारे में है कि क्या वास्तव में इसकी आवश्यकता भी है। मध्य अवधि समीक्षा बिना किसी संदेह के बहुत कम अवधि में समाप्त नहीं होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह याचिकाकर्ता द्वारा पाटनरोधी शुल्क अधिसूचना का लाभ उठाते हुए यह और अधिक विलंब करेगा। न्यायालय यह सुझाव देता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को अंतिम जांच परिणामों में रूटीन लिपिकीय संशोधन करने और उस उद्देश्य से निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी अन्य जांच परिणामों में विशेषकर जहां इस प्रकार के संशोधनों में परिवर्तन किए जाते हैं जो जांच परिणाम अथवा अधिसूचना जैसी भी स्थिति हो, के जारी किए जाने के बाद होता हो, की आवश्यकता पर विचार करते हुए एक अलग अनुदेश सूची अवश्य जारी करनी चाहिए। नाम में परिवर्तन की अत्यावश्यकता इस तरह की एक आवश्यकता है।"

20... "इस तरह की अत्यावश्यकताओं से निपटने के लिए एक प्रक्रिया बनाने में असफल होना उन परिवर्तन जो रूटीन प्रकृति के हैं और जो इन जांच परिणामों के आधार को प्रभावित नहीं करते हैं, करने के लिए मध्य अवधि समीक्षा की शुरुआत को बाध्य करने के लिए एक सही कारण नहीं बना सकता है"

31. उपर्युक्त निर्णय में स्पष्ट किए गए सिद्धांतों को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इनोविन क्लोर विनाइल्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी<sup>2</sup> द्वारा फिर से दोहराया गया है। उपर्युक्त फैसले यह स्पष्ट करते हैं कि कंपनी की कानूनी स्थिति में बिना किसी परिवर्तन के सामान्य नाम परिवर्तन पाटनरोधी नियमावली के नियम 23(1क) के अन्तर्गत मध्य अवधि समीक्षा जांच को आवश्यक नहीं बनाते।
32. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्राधिकारी को शुल्क तालिका में निर्यातक के नाम में परिवर्तन करने के लिए एक सरल प्रक्रिया को अपनाने के लिए स्पष्ट निदेश दिए हैं यदि कंपनी की कानूनी स्थिति अथवा स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं होता हो और यदि नाम में परिवर्तन वास्तविक रूप से अंतिम जांच परिणामों के आधार को नहीं परिवर्तित करता हो अथवा प्रभावित करता हो। इन फैसलों के बाद, डीजीटीआर ने "उत्पादकों/निर्यातकों के नाम में परिवर्तन करने" के लिए प्रक्रिया को कारगर बनाने हेतु एक औपचारिक तंत्र स्थापित कर ट्रेड नोटिस सं. 12/2018 जारी किया। उक्त ट्रेड नोटिस माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की सिफारिश के अनुरूप है।

<sup>2</sup> 2016 एससीसी ऑनलाइन डीईएल 6789:(2016) 339 ईएलटी 539.

परिणामस्वरूप, नियम 23(1क) के अंतर्गत जांच की औपचारिक शुरुआत के बिना आवेदक के नाम को बदलने के लिए चल रही कार्यवाही प्राधिकारी की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र में आती है।

33. इसके अलावा, यह उल्लेख करना संगत है कि डीजीटीआर ने निरंतर रूप से एक व्यापक एमटीआर जांच किए बिना उत्पादक/निर्यातक की शुल्क तालिका में सामान्य नाम परिवर्तन शामिल करने वाले मामलों में ट्रेड नोटिस सं. 12/2018 में उल्लिखित सरलीकृत प्रक्रिया का पालन किया है। यह नोट किया जाता है कि निर्णायक साक्ष्य आवेदक की कानूनी स्थिति, स्वामित्व, शेयर होल्डर्स अथवा होल्डिंग पैटर्न में किसी संशोधन के न होने की पुष्टि करता है। प्राधिकारी विधिवत् संतुष्ट है कि यह मामला ट्रेड नोटिस सं. 12/2018 में उल्लिखित क्षेत्राधिकारी के अन्तर्गत आता है। तदनंतर, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को संगत ब्यौरे दिए।
34. उपर्युक्त के आलोक में, माननीय प्राधिकारी के पास अंतिम जांच परिणामों के किसी पहलू पर फिर से विचार करने की निहित शक्ति नहीं होने के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क कायम रखने योग्य नहीं पाए जाते हैं, यदि वे नियम के अनुसार नहीं हों अथवा न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय द्वारा उसे वापस नहीं भेजा गया हो।
- ii. नाम में वर्तमान परिवर्तन संबंधी आवेदन 90 दिनों के बाद दायर किया गया है, जैसा कि ट्रेड नोटिस सं. 12/2018 द्वारा अधिदेश दिया गया है।
35. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि अपेक्षित 90 दिनों की अवधि के भीतर डीजीटीआर से संपर्क करने में निर्यातक की असफलता डीजीटीआर को इस मुद्दे की ट्रेड नोटिस सं. 12/2018 के अनुसार जांच करने से प्रतिबंधित करता है और निर्यातक को भविष्य की जांचों में एक असहयोगी उत्पादक/निर्यातक के रूप में माना जाएगा। प्राधिकारी बलपूर्वक यह नोट करते हैं कि आवेदक ने उपर्युक्त ट्रेड नोटिस के पैरा 7 में निर्धारित स्पष्ट रूप से परिभाषित समय सीमाओं का पालन करने में असफल रहा है और आवेदन में आगामी विलंब के लिए कोई औचित्य प्रस्तुत करने की उपेक्षा की है। इसके अलावा, आवेदक ने भंगकर भूल करते हुए आवेदन की प्रस्तुति के समय में विलंब को माफ करने की मांग करने का कोई प्रयास नहीं किया है। इसके बदले, आवेदक ने बहुत विलंब से मौखिक सुनवाई के बाद लिखित अनुरोधों में प्रस्तुत किए गए कार्योंत्तर तदर्थ स्वीकारोक्तियों के माध्यम से ही माफी की मांग की है। प्रक्रियागत मापदंडों की इस घोर उपेक्षा की निंदा प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से की जाती है।
36. उपर्युक्त के पूर्वाग्रह के बिना, यह नोट किया जा सकता है कि प्राधिकारी की भूमिका किसी भी तरीके से व्यापार उपचारात्मक शुल्कों को निरंतर लगाए जाने के लिए समीक्षा को रोकना नहीं है। निर्धारित 90 दिनों की समय सीमा समय पर जांच करने के लिए आवश्यक एक अनिवार्य प्रक्रियागत अपेक्षा है। इसके बावजूद, डीजीटीआर ने एक प्राधिकारी की हैसियत से यह सुनिश्चित करने के महत्व को मानते हैं कि किसी आवेदक के अधिकार के साथ केवल प्रक्रियागत आधारों पर समझौता अनुचित रूप से नहीं किया गया है। इसके फलस्वरूप, डीजीटीआर ऐसी परिस्थितियों में इन आवेदनों पर ध्यानपूर्वक विचार करता है।
37. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अपने नाम में परिवर्तन के संबंध में, प्राधिकारी अधिसूचित करने में आवेदक के प्रत्यक्ष विलंब के परिणामस्वरूप किसी पक्षकार को कोई हानि नहीं पहुंचाई गई है। वास्तव में, नाम में परिवर्तन के संबंध में प्राधिकारी को अधिसूचित करने में विलंब केवल आवेदक के लिए हानि पहुंचाने वाली रही है क्योंकि शुल्क तालिका में "शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लिमिटेड" का नाम शामिल है और नाम में परिवर्तन के कारण, आवेदक एसएसआर जांच की अंतिम जांच परिणामों के फलस्वरूप इसको दिए गए शुल्क की विशिष्ट दर का लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहा है।
38. इसके अलावा, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसरण में, प्राधिकारी किसी पक्षकार को "असहयोगी" के रूप में मानने का विवेकाधिकार तभी रखते हैं यदि वह पक्षकार "सूचना देने से इंकार करता है, अथवा अन्य प्रकार से उचित समयावधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में बहुत अधिक हद तक बाधा पहुंचाता है"। अर्द्ध-न्यायिक निकाय के रूप में, प्राधिकारी ने इस विवेकाधिकार का सावधानीपूर्वक ही निरंतर रूप से उपयोग किया है, यदि ऐसा कोई निर्णायक साक्ष्य हो कि संबंधित पक्षकार ने जांच में बाधा पहुंचाई



है अथवा वह प्राधिकारी से सहयोग करने में असफल रहा है। वर्तमान मामले में, आवेदक को नियम 6(8) के संदर्भ में “असहयोगी” के रूप में मानने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि आवेदक ने कोई सूचना नहीं छिपाई है।

39. पूर्वाक्त परिस्थितियों के आलोक में, प्राधिकारी दृढतापूर्वक इस बात पर बल देते हैं कि वर्तमान आवेदन को केवल तकनीकी और प्रक्रियागत आधारों पर सीधे अस्वीकार करना अविवेकपूर्ण कार्यवाही होगी। इसके फलस्वरूप, प्राधिकारी इसे न्यायोचित और आवश्यक उपाय मानते हुए विलंब को माफ करने के अपने विवेकाधिकार का उपयोग करते हैं।
- iii. आवेदक ने यूईएन 19610094एच वाले भंग की गई कंपनी के संबंध में सूचना प्रकटन नहीं कर वास्तविक तथ्यों को छिपाया है और अपना आवेदक प्रस्तुत करने के समय सभी संगत सूचना प्रस्तुत नहीं की है।
40. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि आवेदक ने इस तथ्य को छिपाया है कि एसएसपीएल की स्थापना यूईएन 19610094एच के साथ 1961 में की गई थी। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में कोई सूचना नहीं है कि किस प्रकार से शेल सिंगापुर पीटीई. लिमिटेड (एसएसपीएल) दो अलग अलग यूईएन के साथ अस्तित्व में रह सकता है। यदि यूईएन सं. 19610094एच के साथ शेल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड (एसएसपीएल) अब अस्तित्व में नहीं रहा, इसलिए आवेदकों के लिए यह आवश्यक था कि वे ऐसे तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाएं। इसके साथ ही आवेदक ने कारपोरेट में अथवा दो शेयर होल्डरों की शेयर होल्डिंग संरचना में किसी परिवर्तन के संबंध में कोई आंकड़ा अथवा सूचना प्रस्तुत नहीं किया है जो आवेदक की स्वामित्व संरचना को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है।
41. इस संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यूईएन 196100094एच वाली कंपनी शेल सिंगापुर (पीटीई) लिमिटेड 1 जुलाई, 1997 को भंग कर दी गई थी। इस तथ्य की पुष्टि कंपनी की प्रोफाइल से की गई है, जैसा कि आवेदक द्वारा यूईएन 196100094एच वाली कंपनी के इसके उत्तर में प्रस्तुत किया गया है, जिसे लेखांकन और कंपनी नियामक प्राधिकरण (एसीआरए), सिंगापुर सरकार द्वारा रखी जाती है।
42. इसके अलावा, आवेदक और उसकी संबंधित कंपनियों के रिकॉर्डों की 2020 में निर्णायक समीक्षा जांच के अंतिम जांच परिणाम जारी करते समय, प्राधिकारी द्वारा पहले ही जांच की गई है, सत्यापित किया गया है और उस पर विधिवत विचार किया गया है। इस कारण से, प्राधिकारी वर्तमान मामले में यूईएन 196100094एच वाली कंपनी (1997 में भंग कर दी गई) की संगतता को निरर्थक मानते हैं।
- iv. आवेदक को यह दर्शाना ही चाहिए कि आवेदक के नाम में परिवर्तन के बाद की गई लदान पाटनरोधी शुल्कों के अध्यक्षीन थी।
43. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि आवेदक को यह अवश्य दर्शाना चाहिए कि आवेदक के नाम में परिवर्तन के बाद किए गए लदान पाटनरोधी शुल्कों के अध्यक्षीन था। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी के नाम में परिवर्तन का अनुमोदन करने वाला बोर्ड के संकल्प ने “ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लिमिटेड” नाम वाली कंपनी की सील को समाप्त करने का आदेश दिया। इस कारण से, आवेदक कानूनी रूप से इस नाम के अन्तर्गत कार्य नहीं कर सकते हैं और इस कारण से आवेदक नाम में परिवर्तन के लागू होने के बाद इस नाम के अंतर्गत बीजक नहीं जारी कर सकते हैं। इसके अलावा, आवेदक ने अप्रैल, 2023 से आवेदक को अपने उत्तर के साथ नाम में परिवर्तन के बाद अपने निर्यातों का नमूना बीजक प्रस्तुत किया है।
- v. आवेदक ने अपना आवेदन प्रस्तुत करते समय सभी संगत सूचना प्रस्तुत नहीं की है।
44. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि आवेदक ने शेयर होल्डरों और उनके होल्डिंग पैटर्न में यह परिवर्तन उपलब्ध नहीं कराया है। बोर्ड के संकल्प के उद्धरणों से संबंधित सूचना जिसमें नामों में परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया है और दिनांक 13.12.2023 की वित्तीय विवरणी से लिए गए उद्धरण को गोपनीय के रूप में दावा किया गया था और इस कारण से इसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है।

45. यह संबंध में यह नोट किया जाता है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक आंतरिक दस्तावेज होने के कारण बोर्ड के संकल्प के गोपनीय होने का दावा किया गया है। यद्यपि बोर्ड के पूरे संकल्प का प्रकटन आवेदन के अगोपनीय रूपांतर में नहीं किया गया है। तथापि, वर्तमान मामले में बोर्ड के संकल्प से संगत तथ्यों को आवेदन में सारांश रूप में दिया गया है। इस कारण से, नाम में परिवर्तन संबंधी आवेदन के लिए वर्तमान मामले में बोर्ड के संकल्प को प्रकट नहीं कर घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं पहुंचाई गई है। इसके अलावा, वित्तीय विवरण में कंपनी के राजस्व, बिक्री की लागत, सकल लाभ, वित्तीय आय, परिसंपत्ति और दायित्वों का विवरण आदि से संबंधित संवेदनशील व्यापार सूचना निहित है जिसके प्रकटन से बाजार में कंपनी की प्रतिस्पर्धी स्थिति को गंभीर क्षति होगी। उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा दावा की गई गोपनीयता के स्वीकार किया है।
46. उपर्युक्त के पूर्वाग्रह के बिना, यह नोट किया जा सकता है कि प्राधिकारी ने आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की विधिवत जांच की है और यह सत्यापित किया है कि शेयर होल्डरों और उनकी होल्डिंग्स में नाम में परिवर्तन के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह भी नोट किया जाता है कि निर्णायक समीक्षा जांच के दौरान आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर (नाम में परिवर्तन से पूर्व), 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आवेदक की लेखा परीक्षित वार्षिक विवरणी (नाम में परिवर्तन से पूर्व) और सिंगापुर की लेखांकन और कारपोरेट नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए सदस्यों की पंजी (नाम में परिवर्तन के बाद) उन्हीं शेयर होल्डरों और उनमें से प्रत्येक द्वारा धारित शेयरों की उसी प्रतिशत को दर्शाता है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि नाम में परिवर्तन से पहले और उसके बाद उनके द्वारा धारित शेयरों की प्रतिशत अथवा शेयर होल्डरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
47. यह जांच आगे यह दर्शाती है कि यह अनुरोध दिनांक 17 सितंबर, 2018 की ट्रेड नोटिस सं. 12/2018 में दिए गए दिशा-निर्देश के अंतर्गत नाम में परिवर्तन की श्रेणी में आता है और स्वामित्व में कोई परिवर्तन इस तरीके से नहीं हुआ है जिससे व्यापार की मूल प्रकृति परिवर्तित होती हो। यह अनुरोध ट्रेड नोटिस के क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।
48. सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी दिनांक 17 मार्च, 2020 के अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना 7/12/2019-डीजीटीआर के पैरा सं. 131 में शुल्क तालिका में निम्नलिखित परिवर्तन की सिफारिश करते हैं।  
“क्रम सं. 1 पर, कॉलम 6 में उत्पादक “शेल ईस्टर्न पेट्रोलियम (पीटीई) लि.” का नाम “शेल सिंगापुर पीटीई लि.” के रूप में पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाए।
49. तदनुसार, प्राधिकारी दिनांक 9 जून, 2020 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 14/2020 (एडीडी) में भी नाम में उपर्युक्त परिवर्तन की सिफारिश करते हैं।
50. इस अधिसूचना के कारण केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले आदेशों के विरुद्ध अपील इस अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
(Department of Commerce)  
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

**AMENDMENT NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th February, 2024

**Subject: Change in the name of producer/exporter M/s Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd (“SEPL”) in the final finding notification no. 7/12/2019-DGTR dated 17<sup>th</sup> March 2020 of Sunset Review investigation on anti-dumping duty levied on the imports of Flexible Slabstock Polyol originating in or exported from Singapore.**

**F.No. 7/24/2023-DGTR:** -Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as "the Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as "the Rules") thereof;

**A. Background**

1. The Directorate General of Trade Remedies (hereinafter referred to as "Authority") had conducted an anti-dumping investigation concerning imports of Flexible Slabstock Polyol (hereinafter also referred to as the "subject goods" or PUC) originating in or exported from Australia, EU and Singapore, and recommended imposition of anti-dumping duty vide its final findings No. 14/01/2013-DGAD dated 11<sup>th</sup> January 2015 and the duty was imposed by issuance of Customs Notification No. 09/2015- Customs (ADD) dated 7<sup>th</sup> April 2015. Thereafter, based on the duly substantiated application, the Authority initiated a Sunset Review of the anti-dumping duties (hereinafter referred to as "SSR investigation") then in force on the imports of the subject goods from Singapore vide initiation notice No. 7/12/2019-DGTR dated 9<sup>th</sup> August 2019 and recommended imposition of the definitive anti-dumping duty vide its final findings notification no. 7/12/2019-DGTR dated 17<sup>th</sup> March 2020 (hereinafter referred to as "Final Findings"). The recommendation was accepted by the Ministry of Finance and definitive duty was imposed vide Customs Notification No. 14/2020 (ADD) dated 9<sup>th</sup> June 2020 (hereinafter referred to as "Customs Notification").
2. In the said SSR investigation, one of the cooperating producers of the subject goods from Singapore namely, Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd (“SEPL”) participated and filed their exporters’ questionnaire response. The Authority recommended individual duty of USD 45.73 per MT on the imports of the subject goods produced by SEPL.
3. During the SSR investigation, it has been recorded that the four entities of Shell Group namely, M/s. Shell Eastern Petroleum Pte Ltd (SEPL), Shell Eastern Trading Pte Ltd (SETL), Shell Chemicals Seraya Pte Ltd (SCSL) and Shell Eastern Chemicals (S) (SEC(S)) had filed individual responses. It is further recorded that SCSL is 100% subsidiary company of SEPL. SCSL is also a supplier of input i.e. propylene oxide (PO) to SEPL, which is used in the manufacture of subject goods. Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd (“SEPL”) is the producer of the PUC and has sub-contracted the operations of the plant to its wholly owned subsidiary, Shell Chemicals Seraya Pte. Ltd. (“SCSL”). SEPL reimburses the costs incurred by SCSL for operation of plant on no profit basis under an agreement. SEPL sells the entire quantity of the subject goods to SETL and SETL, in turn, exports these goods to India. However, post the issuance of the final findings of the review investigation, M/s Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd (“SEPL”) has changed its name to Shell Singapore Pte. Ltd. (“SSPL”).
4. Accordingly, Shell Singapore Pte. Ltd. (hereinafter also referred to as “applicant”), filed an application before the Authority for the change of name in the duty table in final findings notification no. 7/12/2019-DGTR dated 17<sup>th</sup> March 2020 of sunset review investigation on anti-dumping duty levied on the imports of Flexible Slabstock Polyol originating in or exported from Singapore.

**B. Procedure**

5. In terms of Trade Notice 12/2018 dated 17<sup>th</sup> September 2018, the applicant filed the present application on 22<sup>nd</sup> September 2023 whereby it informed the Authority that it had changed its name from “Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd” to “Shell Singapore Pte. Ltd.” with effect from 3<sup>rd</sup> April 2023 and requested a change of name in the final findings and consequently, the duty table as notified by customs notification.

Existing Name in the Duty Table	Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd (“SEPL”)
Proposed New Name in the Duty Table	Shell Singapore Pte. Ltd. (“SSPL”)

6. Considering the nature of the request and in terms of Trade Notice No. 12/2018 dated 17<sup>th</sup> September 2018, the Authority examined the said application and circulated the non-confidential version of the application to the domestic industry i.e., M/s Manali Petrochemicals Ltd. and sought their views on the request made so that the request could be considered appropriately and the need to undertake a Mid-Term Review (“MTR”), if warranted, could be properly evaluated.
7. An oral hearing was conducted by the Authority on 30<sup>th</sup> November 2023 providing the relevant interested parties with an opportunity to participate in the oral hearing in case they wish to present information relevant to the investigation. The ensuing submissions made by the participants are recorded below and have been duly considered by the Authority.

**C. Submissions**

**C.1 Domestic Industry i.e., M/s Manali Petrochemicals Limited**

8. There is no power vested with the Hon’ble Authority to relook into any aspect of the final findings unless drawn from a Rule or remanded back by the Tribunal or any Courts (Supreme Court / High Court). Also, since the recommendation of a change in the Duty Table is a substantive change which is not of a typographical or clerical nature, the instant proceedings of name change cannot proceed without initiating the investigation in terms of Rule 23(1A). Without initiation, the Designated Authority has no legal power/jurisdiction to proceed with any investigation or make any recommendation to amend the Duty Table as envisaged under Rule 17. The legal procedure cannot be short-circuited by the issuance of a Trade Notice.
9. The Trade Notice does not state the rule under which the change of name is proposed to be undertaken, without initiation of the proceedings. Moreover, by not issuing a public notice i.e., initiation notification, about the change of name, all the interested parties are not put to notice. Therefore, the procedure is inherently against the principles of natural justice.
10. The SSPL has not approached the DGTR within a mandatorily period of 90 days, so DGTR cannot investigate the issue under Trade Notice 12/2018. Moreover, since they have failed to comply with the mandatory instructions, they shall be treated as ‘non-cooperative producer/ exporter’ during the subsequent investigations. The applicant has not even requested any condonation of delay, before filing the ‘name change request information’, a post-facto condonation request cannot be accepted.
11. The applicant has withheld material facts with the intention to seek benefit under Trade Notice 12/2018. The application does not mention that SSPL was established in 1961 having UEN no. 196100094H which later got dissolved. The impression is given that the new name has been adopted in April 2023 only. In this connection, no information is provided as to how SSPL could exist with two different UENs. Assuming that SSPL with UEN no. 196100094H was no longer existing, so then applicant needed to bring such facts on record. Further, the applicant has not provided any data or information if the corporate or shareholding structure of the two shareholders has undergone a change. The change thereto in any shareholder of the Applicant may have a direct implication in the ownership structure of the Applicant, as the scope of work of the new entity is different from the entity having the current name.
12. Since the extracts of the board resolution, wherein the change of name is proposed is accepted by the Board are kept confidential, the Authority cannot use this evidence for reaching any conclusion. Similarly, the exporter has claimed confidentiality on the extracts from the financial statement dated 13.12.2023. Since the current proceedings are of a name change, observations by the auditor or any references to name change in the audited documents cannot be allowed to be kept confidential.
13. Additionally, the exporter has not provided details of the goods exported post-April 2023 to the current date. It has not only provided incomplete information to the domestic industry but also to the Hon’ble Authority, thus withholding of information has severely prejudiced the right. This can only be undertaken through an interim review under Rule 23.

**C.2 Applicant- Shell Singapore Pte. Ltd. (“SSPL”)**

14. The change in name has been carried out to more clearly reflect the name of the predominant jurisdiction in which the company operates commercially and to enable the ease of recognition regionally.

15. The change in name of the applicant was a simple name change, without a change in ownership structure or legal status of the entity. The present name change does not necessitate a reassessment of dumping and injury parameters and therefore, the request falls within the category of name change “*for record only*” as per the Trade Notice No. 12/2018 dated 17<sup>th</sup> September 2018.
16. The following documents have been filed to demonstrate that the present case is a simple name change, without a change in ownership structure or legal status:
  - a) Board Resolution dated February 1, 2023, passed by the company in respect of the change of name to Shell Singapore Pte. Ltd.
  - b) Certificate Confirming Incorporation of Company issued by Accounting and Corporate Regulatory Authority (“ACRA”), Singapore, confirming the name change.
  - c) The audited financial statement for the financial year ended 31st December 2021.
  - d) The exporter questionnaire response filed by the applicant during the SSR investigation.
  - e) Annual returns filed by the applicant with the Singaporean Authorities.
  - f) The Register of Members issued by ACRA.
17. The change in the name has not brought any structural changes in the company e.g.:
  - a) No change in the legal status or ownership structure.
  - b) No change in operations of the entity.
  - c) No change in the shareholders and their holdings
  - d) No change in cost structure
  - e) No change in the source of utilities
  - f) No change to existing manufacturing sites and business offices under SSPL.
  - g) No change in the business license number.
18. The Hon’ble High Court of Delhi, in the case of *Inovyn Sverige AB v. The Designated Authority*, has held that in cases where there is a simple change in the name of an exporter, without a change in ownership or legal status, there is no justification for the Authority to conduct a full-fledged MTR investigation. The Hon’ble High Court of Delhi has issued clear instructions to the Designated Authority to follow a simplified procedure in cases involving a simple name change which has not impacted or altered the basis for the imposition of the anti-dumping duties.
19. The delay in notifying the Authority within 90 days of the name change was not intentional and solely on account of the lack of knowledge of the relevant trade notice issued by the Authority. The said delay may be kindly condoned by the Authority.
20. Notwithstanding the delay in notifying the Authority, the applicant has, through the Singapore High Commission notified the change in name to the Customs Authorities merely 20 days after the change in its name.
21. No prejudice has been caused to any party as a result of the applicant’s apparent delay in notifying the Authority regarding the change in its name. The delay in notifying the Authority regarding the name change has been prejudicial to SSPL alone since the duty table contains the name of “SEPL”, and on account of the name change, the company has not been able to benefit from the individual rate of duty granted to it pursuant to the final findings of the SSR investigation.
22. There are no justifications for treating SSPL as ‘non-cooperative’. Under Rule 6(8) of the anti-Dumping Rules, a party may be treated as ‘non-cooperative’ only if it refuses access to or otherwise does not provide necessary information, or significantly impedes the investigation.
23. No other entity is involved in the present name change. The applicant bears a unique entity no. (UEN) 196000089G. All documents furnished by the applicant in its application depict this UEN.
24. As seen from the records maintained by the Accounting and Company Regulatory Authority (ACRA) of Singapore, the entity with UEN No. 196100094H was dissolved in the year 1997. Since the dissolution of the above entity took place 26 years prior to the present name change, the applicant fails to understand its relevance to the present proceedings.

25. The special resolution passed by the board of directors of the applicant ordered the destruction of the company seal bearing the name “Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd”, and therefore, it is legally impermissible for the applicant to conduct business under this name.

**D. Examination by the Authority**

26. The examination of the submissions made by the domestic industry and the applicant have been made hereinunder.

27. The applicant changed its name from “Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd” to “Shell Singapore Pte. Ltd.” with effect from 3<sup>rd</sup> April 2023. As claimed by the applicant, the name has been changed with a motive to more clearly reflect the predominant jurisdiction in which the company operates commercially and to enable the ease of recognition regionally. Further, the new name of the company is closely associated with Shell's principal brand and it is also a more encompassing name which suggests that the Company's business extends to more than just the petroleum business, particularly in this era of the energy transition. The aforesaid reason has also been mentioned in the company's (SSPL) Annual Financial Statement of FY 2022, filed on 13<sup>th</sup> June 2023.

28. The applicant filed the application as per the prescribed format under Trade Notice 12/2018 and the following documents were annexed which have been duly examined by the Authority:

- a. The special resolution passed by the board of directors of the applicant on 1<sup>st</sup> February 2023, approving the change in name of the applicant from SEPL to SSPL. The Board approved the destruction of “Common Seal” bearing the name “Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd” following the change of name of the company and a “New Common Seal” having the name of “Shell Singapore Pte. Ltd.” was approved and adopted.
- b. Certificate Confirming Incorporation of Company issued by Accounting and Corporate Regulatory Authority ("ACRA"), Singapore, acknowledging that the entity bearing UEN 196000089G (i.e., the applicant) was previously known as “Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd”, and has changed its name to “Shell Singapore Pte. Ltd.” effective from 3<sup>rd</sup> April 2023.
- c. The undertaking dated 20<sup>th</sup> April 2023 from SSPL stating that all legal rights, obligations and concessions accorded to SEPL previously remain in full force and effect with SSPL, and will not be impacted by the name change. SSPL retains all business operations and manufacturing activities previously undertaken by SEPL with no change to existing manufacturing sites and business offices under SSPL.
- d. Annual return dated 14<sup>th</sup> July 2023, for the year ended on 31<sup>st</sup> December 2022 (after the name change but relating to the period prior to the name change) filed before ACRA by SSPL showing same UEN as shown in the Certificate Confirming Incorporation of company issued by ACRA.
- e. Register of Member ("ROM") dated 25<sup>th</sup> August 2023, issued by ACRA affirming the shareholders and their holdings in SSPL.
- f. The audited annual financial statement for the year ended on 31<sup>st</sup> December 2022, published post change of name showing new name and erstwhile name.

29. The following issues have been raised by the applicant and the domestic industry as integral components of their submissions:

**i. The Authority does not have the power/jurisdiction to change the name of the applicant in the duty table without initiating a Mid-Term Review (MTR) investigation under Rule 23(1A).**

30. The domestic industry has alleged that there is no power vested with the Hon'ble Authority to relook into any aspect of the final findings unless drawn from a Rule or remanded back by the Tribunal or any Courts (Supreme Court / High Court). In this regard, the Authority refers to the judgement of *Inovyn Sverige AB v. The Designated Authority*<sup>1</sup>, wherein the Hon'ble Delhi High Court admonished the DGTR for undertaking intricate Mid-Term Review Investigations for a mere change of name.

16. ... “When an entity mentioned in the Final Findings comes forward to say that there is a change in its name and not in its legal status, the question is whether the DA would be justified in such circumstances to require such entity to go in for a mid-term Review”

17. ... “The only justification advanced before this Court by learned counsel for the DA is that there is no other procedure available for dealing with such a request. The Court is unable to appreciate the above approach of the DA.” ... “The Petitioner has repeatedly asserted that its legal status has not changed. All that has happened is a change in its name. There was no occasion, therefore, for the DA to presume that such

*a change of the name of the Petitioner as appearing in the Final Findings would somehow prejudice the other interested parties and that a mid-term Review has to be undertaken to examine if this change in name has resulted in a changed circumstance justifying the mid-term Review.”*

18. ... *“In the present case it was incumbent on the DA to have first examined whether, on the basis of the documents submitted by the Petitioner, the change in its name has altered or impacted the basis for the imposition of the anti-dumping Duty in terms of the Final Findings dated 4 April 2014.”*

19. ... *“The question is not so much about the prejudice caused to the Petitioner by the mid-term Review but whether in fact it is called for at all. A mid-term Review would undoubtedly not get over in a short time. It would undoubtedly further delay the availing of the benefit of the anti-dumping duty notification by the Petitioner. The Court suggests that the DA must issue a further set of instructions to account for the need to make routine clerical corrections in the Final Findings or for that matter in any other Findings rendered by the DA particularly where such corrections are occasioned by changes that take place after the issuance of the Findings or notification as the case may be. The contingency of change in name is one such.”*

20. ... *“The failure to devise a procedure for dealing with such contingencies cannot constitute a valid reason to compel the initiation of a mid-term Review to effect changes that are of a routine nature and which do not affect the basis of the Findings.”*

31. The principles elucidated in the above judgement have been re-iterated by the Hon'ble Delhi High Court in *Inovyn Chlor Vinyls Ltd. v. The Designated Authority*<sup>2</sup>. The above judgements make it clear that a simple name change, without any change in the legal status of the entity, does not warrant a mid-term review investigation under Rule 23(1A) of the AD Rules.
32. The Hon'ble High Court of Delhi has issued clear directions to the Authority to follow a simplified procedure for making changes in name of an exporter in the duty table if there is no change in legal status or ownership of the entity and if the change in name does not materially alter or impact the basis of the underlying final findings. Subsequent to these judgements, the DGTR issued Trade Notice No. 12/2018, establishing a formal mechanism for streamlining the procedure for “carrying out change of name of producer(s)/exporter(s)”. The said Trade Notice aligns with the recommendations of the Hon'ble High Court of Delhi. Consequently, the ongoing proceedings for altering the name of the applicant without a formal initiation of investigation under Rule 23(1A) fall very well within the purview of the Authority's powers and jurisdiction.
33. Further, it is pertinent to mention that DGTR has consistently adhered to the simplified procedure outlined in the Trade Notice 12/2018 in cases involving a simple change of name in the duty table of the producer/exporter, without conducting a comprehensive MTR investigation. It is noted that conclusive evidence substantiates the absence of any modifications to the legal status, ownership, shareholders, or holding pattern of the applicant. The Authority is duly satisfied that this matter falls within the purview outlined in the Trade Notice no. 12/2018. Subsequently, the Authority disseminated the pertinent details to the domestic industry.
34. In light of the above, the arguments presented by the domestic industry regarding the lack of power vested with the Hon'ble Authority to relook into any aspect of the final findings unless drawn from a Rule or remanded back by the Tribunal or any Courts is not found to be sustainable.

**ii. The present name change application has been filed after 90 days as mandated by Trade Notice No. 12/2018.**

35. The domestic industry has submitted that the exporter's failure to contact the DGTR within the required 90-days period prohibits the DGTR from investigating the issue as per Trade Notice 12/2018 and the exporter shall be considered as a non-cooperative producer/exporter in the future investigations. The Authority emphatically notes that the applicant has egregiously failed to adhere to the explicitly defined timelines set forth in paragraph 7 of the aforementioned trade notice and has neglected to furnish any justification for the ensuing delay in the application. Furthermore, the applicant, in a glaring oversight, has made no attempt to solicit condonation of the delay contemporaneously with the application submission. Instead, the applicant has belatedly sought condonation solely through post hoc averments presented in written submissions subsequent to the oral hearing. This blatant disregard for procedural norms is condemned unequivocally by the Authority.
36. Without prejudice to the above, it may be noted that the role of this Authority is not to restrict review for continued imposition of the trade remedial measures in any manner. The stipulated 90-days timeframe is a mandatory procedural requirement essential for conducting timely investigations. Nevertheless, DGTR, in its capacity as an Authority, recognizes the importance of ensuring that the rights of an applicant are not unduly compromised solely on procedural grounds. Consequently, DGTR carefully considers the applications in such situations.

<sup>2</sup> 2016 SCC OnLine Del 6789; (2016) 339 ELT 539.

37. The Authority notes that no prejudice has been caused to any party as a result of the applicant's apparent delay in notifying the Authority regarding the change in its name. In fact, the delay in notifying the Authority regarding the change in name has been prejudicial to the applicant alone since the duty table contains the name of "Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd", and on account of the change in name, the applicant has not been able to benefit from the individual rate of duty granted to it pursuant to the final findings of the SSR investigation.
38. Further, pursuant to Rule 6(8) of the anti-Dumping Rules, the Authority holds the discretion to treat any party as 'non-cooperative' only if that party "refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation". As a quasi-judicial body, the Authority has consistently exercised this discretion cautiously only if there is conclusive evidence that the concerned party has impeded the investigation and failed to cooperate with the Authority. In the present case, there is no justification for treating the applicant as 'non-cooperative' in terms of Rule 6(8) since the applicant has not withheld any information.
39. In light of the foregoing circumstances, the Authority firmly asserts that outright dismissal of the current application based solely on technical and procedural grounds would be an imprudent course of action. Consequently, the Authority exercises its discretion to condone the delay, deeming it a just and warranted measure.
- iii. The applicant has withheld material facts by not disclosing information regarding a dissolved entity with UEN 19610094H and has not furnished all relevant information at the time of filing its application.**
40. The domestic industry has argued that the applicant has withheld the fact that SSPL was established in 1961 having UEN no. 196100094H. Additionally, there is no information as to how Shell Singapore Pte. Ltd. (SSPL) could exist with two distinct UENs. If Shell Singapore Pte. Ltd. (SSPL) with UEN no. 196100094H no longer existed, so applicants needed to bring such facts on record. Also, the applicant has not furnished any data or information regarding any changes in the corporate or shareholding structure of the two shareholders, which could directly impact the ownership structure of the applicant.
41. In this regard, the Authority notes that the entity Shell Singapore (Pte.) Ltd bearing UEN 196100094H was dissolved on July 1, 1997. This fact is corroborated by the company profile, as submitted by the applicant in its rejoinder, of the entity with UEN 196100094H, which is maintained by the Accounting and Company Regulatory Authority (ACRA), Government of Singapore.
42. Further, the records of the applicant and its related entities have already been examined, verified and duly considered by the Authority while issuing the final findings of the sunset review investigation in 2020. Therefore, the Authority considers the relevance of entity with UEN 196100094H (dissolved in 1997) inconsequential in the present matter.
- iv. The applicant must demonstrate that shipments made post the change in the name of the applicant were subjected to the anti-dumping duties.**
43. The domestic industry has argued that the applicant must demonstrate that shipments made post the change in the name of the applicant were subjected to anti-dumping duties. In this regard, the Authority notes that the Board Resolution approving the change in the company's name ordered the destruction of the company seal bearing the name "Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd". Therefore, the applicant legally cannot operate under this name, and hence the applicant cannot issue invoices under this name subsequent to the change in name taking effect. Further, the applicant has submitted sample invoices of its exports after the change in name since April 2023 to the Authority along with its rejoinder.
- v. The applicant has not furnished all relevant information at the time of filing its application**
44. The domestic industry has contended that the applicant has not provided the change in the shareholders and their holding pattern. Information pertaining to extracts of board resolution, wherein change of name is proposed and extracts from financial statement dated 13.12.2023 were claimed as confidential and therefore, cannot be used as evidence for reaching any conclusion.
45. In this regard, it is noted that the board resolution being an internal document of a private limited company is claimed to be confidential. Though the disclosure of the complete board resolution is not made in the non-confidential version of the application, however, the relevant facts from the board resolution to the present case have been summarised in the application. Therefore, there is no prejudice caused to the domestic industry through the non-disclosure of the board resolution in the present case for a name change application. Further, the financial statement contains sensitive business information relating to the company's revenue, cost of sales, gross profit, financial income, statement of assets and liabilities, etc., the disclosure of which would cause serious damage to the company's competitive position in the market. In view of the above, the Authority has accepted the confidentiality claimed by the applicant.



46. Without prejudice to the above, it may be noted that the Authority has duly examined the documents submitted along with the application and verified that the shareholders and their holdings have not changed post the name change. It is also noted that the exporter questionnaire response filed by the applicant during the sunset review investigation (prior to the name change), the audited annual return of the applicant for the year ended 31<sup>st</sup> December 2021 (prior to the name change) and the Register of Members issued by the Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore (subsequent to the name change) show the same shareholders and the same percentage of shares held by each of them. This clearly demonstrates that there is no change in shareholders or the percentage of shares held by them prior to and subsequent to the name change.
47. The examination further reveals that the request falls in the category of a name change within the guideline given in the Trade Notice No. 12/2018 dated 17<sup>th</sup> September 2018 and there is no change in the ownership in a manner that alters the basic nature of the business. The request is covered within the scope of the trade notice.
48. Having considered all aspects, the Authority recommends the following change in the Duty Table in para no. 131 of the final findings notification no. 7/12/2019-DGTR dated 17th March, 2020:  
“At SN 1, in Column 6, the name of the producer “Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd” be amended to read as “Shell Singapore Pte. Ltd.”.
49. Accordingly, the Authority recommends the above change in the name in the Customs Notification No. 14/2020-Customs(ADD) dated 9th June 2020 as well.
50. An appeal against the orders of the Central Government arising out of this notification shall lie before the Customs, Excise, and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority